न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
45/2021 प्रा.पत्र/2021	21.05.2021	14.03.2024

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.............प्रार्थी

बनाम

1–श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री सुवालाल गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्दम स्वीट्स वेटरनरी अस्पताल के सामने नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक निवासी 182, 183 आदर्श नगर मालपुरा जिला टोंक पिनकोड–304502

2–श्री मुकेश चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स रूपा एजेन्सीज महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी जैन मन्दिर के पास बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304502

3–श्री प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स बंसल सेल्स कॉरपोरेशन 3/4 सिंघल भवन, खेतडी हाउस–ईस्ट, चांदपोल गेट के बाहर जयपुर/रजि. ऑफिस–ई–28, राजधानी कृषि मण्डी, कूकरखेडा, सीकर रोड जयपुर। पिनकोड–302013 निवासी–82, खेत्री हाउस, जमना भवन के पास, आउट साईट चांदपोल जयपुर। पिनकोड–302016

4–श्री सुनिल गोगोरिया डायरेक्टर मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा. लि. रजि. ऑफिस प्लॉट नं. 28, करतारपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज.। पिनकोड–302006 निवासी मीरा मार्ग झोटवाडा रोड बनीपार्क जयुपर।

5–श्री सुभाष शर्मा डायरेक्टर मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा. लि. रजि. ऑफिस प्लॉट नं. 28, करतारपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज.। पिनकोड–302006 निवासी मीरा मार्ग झोटवाडा रोड बनीपार्क जयुपर।

6–श्री राहुल शर्मा डायरेक्टर मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा. लि. रजि. ऑफिस प्लॉट नं. 28, करतारपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज.। पिनकोड–302006 निवासी मीरा मार्ग झोटवाडा रोड बनीपार्क जयुपर।

7–श्री रोहित शर्मा डायरेक्टर मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा. लि. रजि. ऑफिस प्लॉट नं. 28, करतारपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज.। पिनकोड–302006 निवासी मीरा मार्ग झोटवाडा रोड बनीपार्क जयुपर।

8–श्री सौरभ शर्मा डायरेक्टर मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा. लि. रजि. ऑफिस प्लॉट नं. 28, करतारपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज.। पिनकोड–302006 निवासी मीरा मार्ग झोटवाडा रोड बनीपार्क जयुपर।

9–मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा. लि. रजि. ऑफिस प्लॉट नं. 28, करतारपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर राज.।

.............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री अश्विनी कुमार शर्मा उपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

:–**निर्णय**–: **दिनांक 14.03.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.12.2020 को समय 12:32 पीएम पर मैसर्स गोविन्दम स्वीट्स वेटरनरी अस्पताल के सामने नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री सुवालाल गुप्ता दुकान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामअवतार गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **रसगुल्ला रूकमणी ब्राण्ड (Rasogulla Rukmani Brand)** के 1–1 किलोग्राम के 14 नग मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रामअवतार गुप्ता को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रामअवतार गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रसगुल्ला रूकमणी ब्राण्ड (Rasogulla Rukmani Brand)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1–1 किलोग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रसगुल्ला रूकमणी ब्राण्ड (Rasogulla Rukmani Brand)** 1–1 किलोग्राम के 4 नग मूल पैक में से 1–1 नग को खाकी कागज से लपेटकर चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2596 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2596 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री सुवालाल गुप्ता ने मौके पर मैसर्स रूपा एजेन्सीज महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स रूपा एजेन्सीज से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म ने मैसर्स बंसल सेल्स कॉरपोरेशन 3/4 सिंघल भवन, खेतडी हाउस–ईस्ट, चांदपोल गेट के बाहर जयपुर का वारन्टी बिल पेश किया तथा मैसर्स बंसल सेल्स कॉरपोरेशन के व्यवहारी ने मैसर्स डी.एम.बी. स्वीट्स प्रा. लि. रजि. ऑफिस प्लॉट नं. 28, करतारपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया 22 गोदाम जयपुर का वारन्टी बिल पेश कर निर्माता होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2020 / 4428 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 2338 / एक्ट / 2020 / 2211 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रसगुल्ला रूकमणी ब्राण्ड (Rasogulla Rukmani Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री अश्विनी कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र लेबल संबंधी त्रुटि होने की वजह से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रसगुल्ला रूकमणी ब्राण्ड (Rasogulla Rukmani Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रसगुल्ला रूकमणी ब्राण्ड (Rasogulla Rukmani Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.03.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय... अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0